कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक (आकस्मिक), दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की मा. कार्यपरिषद् की 48वीं बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 (शनिवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय में ऑफलाईन/ऑनलाईन के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

उक्त बैठक में निम्नांकित सम्मानित सदस्यों/महानुभावों ने प्रतिभाग किया :–

1. प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री कुलपति	अध्यक्ष
2. मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री आर.सी. खुल्बे पूर्व मा. न्यायमूर्ति उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
3. प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार।	सदस्य
4. प्रो. कमला चौहान विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय श्रीनगर।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
5. प्रो. यशबीर सिंह प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष–धर्मशास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली।	सदस्य
6. श्री पद्माकर मिश्रा उप निदेशक उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा निदेशालय रानीपुर झाल, हरिद्वार।	सदस्य
7. डॉ. प्रतिभा शुक्ला संकायाध्यक्ष–साहित्य संस्कृति संकाय उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।	सदस्य
8. डॉ. संजीव शास्त्री प्राचार्य, श्री दैवी सम्पद् अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
9. डॉ. शिवानी विद्यालंकार प्राचार्य, श्री निर्मल संस्कृत महाविद्यालय, कनखल हरिद्वार।	सदस्य
10. श्री लखेन्द्र गौथियाल वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।	सदस्य
11. श्री गिरीश कुमार अवस्थी कुलसचिव	सचिव/मा. कार्यपरिषद्

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नही हो सके :–

1. डॉ. शैलेश कुमार तिवारी — सदस्य
   संकायाध्यक्ष–वेद–वेदांग संकाय
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
2. प्रो. दिनेश चन्द्र चमोला — सदस्य
   आचार्य/विभागाध्यक्ष–भाषा एवं आधुनिक
   ज्ञान–विज्ञान विभाग
3. डॉ. कामाख्या कुमार — सदस्य
   उपाचार्य–योग विज्ञान विभाग
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।
4. डॉ. विनय कुमार सेठी — सदस्य
   सहायक आचार्य–भाषा एवं आधुनिक
   ज्ञान–विज्ञान विभाग
   उ.सं.वि.वि. हरिद्वार।

बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद संख्या :–01 रिट–पिटीशन संख्या–513/2022 Dr Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttarakhand and Others में डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी के प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

1. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या 01/2009 दिनांक 18 मई, 2009 के द्वारा शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) विभाग में विश्वविद्यालय के नियुक्ति आदेश सख्या 1079/नियुक्ति/2010 दिनांक 02 जून, 2010 एवं कार्यालय–ज्ञाप संख्या 1270/नियुक्ति/कार्यभार/2010 दिनांक 05 अगस्त, 2010 के द्वारा आचार्य (प्रोफेसर) के पद पर डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी, की नियुक्त हुई।
2. शिकायतों के क्रम में जाँच अधिकारी गढ़वाल आयुक्त के द्वारा जाँच की गई। शासन के पत्र संख्या 814/XLII–1/2015–06(01)/2012 संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के द्वारा विश्वविद्यालय को गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हुई और जांच आख्या को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करते हुये एन.सी.टी.ई./यू.जी.सी. एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मानकानुसार परीक्षण कराकर कार्यवाही की अपेक्षा की गई। तत्कालीन मा. कार्यपरिषद् के मा. सदस्य प्रो.(डॉ.)पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा जांच रिपोर्ट के परीक्षण एवं जांच अधिकारी प्रो. वी.के बंसल की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी को आचार्य (प्रोफेसर) के पद के लिए अयोग्य पाया गया और मा. कार्यपरिषद् की 33वीं बैठक दिनांक 08 अप्रैल, 2018 में निर्णय द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से दिनांक 11.04.2018 से रद्द (Annulled) कर दी गई।
3. दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी द्वारा माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में Writ Petition (S/B) No. 155 of 2018 Dr Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttarakhand and Others दाखिल की गयी, जिसमें दिनांक 20.12.2018 को मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अन्तिम पैरा निम्नवत् है:–"While this order shall not disable the respondent-University from either itself, or through an Inquiry Officer, examining afresh whether or not the petitioner fulfilled the qualifications of a Professor, the petitioner shall however be reinstated into service forthwith, and be extended the benefits which he is entitled to, consequent on his reinstatement into service, and as a result of the impugned order having been set aside."

4. उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–9529/प्रशासन/व्यक्तिगत पत्रावली/2019 दिनांक 15 मार्च, 2019 द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी को तत्काल प्रभाव से विभागाध्यक्ष/आचार्य, शिक्षाशास्त्र (बी.एड.) विभाग के पद पर मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन एवं इस शर्त के अधीन पुनः पदस्थापित किया गया कि यह नियुक्ति जाँच समिति के द्वारा प्राप्त तथ्यों एवं संस्तुति पर मा. कार्यपरिषद् के निर्णय के अधीन होगी।
5. उक्त के अनुपालन में डॉ. बलोदी द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2019 को विभागाध्यक्ष/आचार्य (प्रोफेसर) पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् मा. कार्यपरिषद् की 36वीं बैठक, दिनांक 13 जुलाई, 2019 के मद संख्या 11 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 442/प्रशासन/2019 दिनांक 14 अगस्त, 2019 के द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी के प्रकरण से सम्बन्धित जाँच समिति का गठन किया गया।
6. उक्त गठित जाँच समिति की रिपोर्ट दिनांक 24.02.2020 को मा. कार्यपरिषद् की 39वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के कार्यवृत्त के मद संख्या 11 के विनिश्चयानुसार प्रकरण विश्वविद्यालय के पत्रांक 316/प्रशासन/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के द्वारा शासन को संदर्भित किया गया।
7. दिनांक 18 मई, 2022 को सचिव, संस्कृत शिक्षा, 'उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त संख्या–193/XLII–1/2022–08(07)2018 संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 23 मई 2022 के प्रस्तर–06 में लिये गये निर्णय एवं शासन के पत्र संख्या–215/XLII–1/2020–08(07)2018, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 30 मई, 2022 के तथा तत्क्रम में मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के पत्रांकः 175/प्रशासन/व्य.प./2022 दिनांक 01 जून, 2022 के द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र (बी.एड.), उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सेवाओं से पृथक् कर दिया गया।

उक्त निर्णय मा. कार्यपरिषद् के संज्ञानार्थ, शोधन (Rectification)/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

उक्त के अतिरिक्त रिट–पिटीशन संख्या–513/2022 Dr Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttarakhand and Others में मा. उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

तिथि	विवरण	
29.08.2023	–	मा. उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के निर्णय की प्रति संलग्न है।
03.10.2023	–	मा. उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के निर्णय की प्रति संलग्न है।
04.10.2023	अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023	मा. उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के निर्णय की प्रति संलग्न है।
05.10.2023	अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023	मा. उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के निर्णय की प्रति संलग्न है।
06.11.2023	अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्राप्त नोटिस में अवमानना याचिका संख्या–283 of 2023 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 06 नवम्बर, 2023 दी गई है।
08.11.2023	–	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) Dr. Mohan Chandra Balodi Versus State of Uttrakhand and others में अगली सुनवाई की तिथि 08 नवम्बर, 2023 दी गई है।
20.11.2023	अवमानना याचिका संख्या – 283 of 2023	मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अवमानना याचिका संख्या – 283 of 2023 में मा. न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 20 नवम्बर, 2023 दी गई है।

- उक्त निर्णय के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 25.09.2023 को मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) Dr. Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttrakhand and others में प्रतिशपथ पत्र एवं Stay vacation application दाखिल की गई है।

विनिश्चय : दिनांक 18 मई, 2022 को सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में मा. कार्यपरिषद् द्वारा गठित जाँच समिति जिसमें जाँच समिति द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी को प्रोफेसर पद हेतु यू.जी.सी. मानकानुसार अर्ह नहीं पाया गया, के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गयी थी एवं उक्त बैठक के क्रम में शासन द्वारा पत्र संख्या–215/**XLII**–1/2020–08(07)2018, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 30 मई, 2022 निर्गत किया गया जिसके तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 175/प्रशासन/व्य.प./2022 दिनांक 01 जून, 2022 के द्वारा डॉ. मोहन चन्द्र बलोदी विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र (बी.एड.), उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की सेवाओं से पृथक् कर दिया गया, उक्त प्रकरण को मा. कार्यपरिषद् के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें संज्ञान लेते हुये निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत वाद पर मा. उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 08.11.2023 में प्राप्त होने वाले आदेश के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मा. कार्यपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या–02 मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित Writ Petition No. 513 of 2022 (S/B) Dr. Mohan Chandra Balodi Vs State of Uttrakhand and others में आवश्यकतानुसार सीनियर अधिवक्ता को नामित किये जाने एवं मा. उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही हेतु मा. कुलपति को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

विनिश्चय : मा. कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श कर प्रस्तावानुरूप अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–03

(i) मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में अधिवक्ता श्री हिमांशु पाल के स्थान पर अधिवक्ता श्री आशीष जोशी एवं अधिवक्ता श्री शोभित जोशी को पैनल में नामित किया गया है।
उक्त मा. कार्यपरिषद् के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मा. उच्चतम न्यायालय में A.O.R. श्री निशांत सिंह एवं अधिवक्ता श्री हिमांशु पाल के स्थान पर अन्य उपयुक्त A.O.R. व अधिवक्ता को नामित किये जाने का प्रस्ताव है।

(iii) शासन के पत्र संख्या–263/XLII–1/2023–08(10)2022 टी.सी., संस्कृत शिक्षा अनुभाग, देहरादून, दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के द्वारा रिट याचिका संख्या 513/एस.बी./2022 में विश्वविद्यालय द्वारा आतिथि तक किये गए व्यय की स्थिति का शोधन (Rectification) हेतु मा. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

विनिश्चय : मा. कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त मद संख्या 03 के प्रस्ताव **(i)** एवं **(iii)** का संज्ञान लिया एवं शोधन **(Rectification)** किया गया एवं मद संख्या 03 के प्रस्ताव **(ii)** पर मा. कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्य मद : मा. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

01. मा. कार्यपरिषद् ने कार्यपरिषद् की बैठक में वाह्य सदस्यों को प्रतिभाग करने विषयक दिये जा रहे मानदेय की धनराशि रू0 2500/– में वृद्धि किये जाने पर विचार–विमर्श किया। जिस पर मा. परिषद् ने तत्काल प्रभाव से रू0 4000/– मात्र मानदेय दिये जाने पर सहमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक सम्पन्न हुयी।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री)
कुलपति/अध्यक्ष